

Order sheet [Contd]

case No -b.a-155/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
26-04-2017 02:35pm to 02:45 pm	<p>आवेदक/अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह लोधी द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 27/16 आज ही नियत है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की ओर से उसके पिता श्री हाकिम सिंह ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0स0 का है। इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन न तो पेश हुआ है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त भूपेन्द्र के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0स0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है कि इस प्रकरण के अपराध से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। उसके विरुद्ध गलत रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई जाकर आरोपी बनाया गया है। उसे झूठा फंसाया गया है। अपराध वर्ष 2008 का है। अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट है फरियादी के द्वारा उसकी कोई पहचान नहीं की गई है। फरियादी ने अपने कथन में बदमाश की पहचान करने से मना किया है और कहा है कि वह पहचान नहीं कर पाएगा। प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है आवेदक लगभग तीन माह से निरोध में है। उसके अतिरिक्त परिवार में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन मौखिक रूप से विरोध किया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 27/16 के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 04.06.2008 को दोपहर लगभग 02:30 बजे फरियादी भूपेन्द्र सासोडे अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07 एम.बी.-6755 से गोहद से ग्वालियर जा रहा था, गुरीखा नहर की पुलिया पर तीन बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोक ली तथा चाबी निकाल का एक ने उसके कट्टा अड़ा दिया तथा बाकी दो लडकों ने दोनों मोबाइल व 2400/-रुपए छीन लिए वे मोटरसाइकिल को भी लेकर भाग गए। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर की गई। जिस पर से थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 58/08 अंतर्गत धारा-392 भा.दं.सं. तथा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. अधिनियम 1981 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>गया।</p> <p>दिनांक 05.07.2016 को पुलिस बकेबर के द्वारा काशीराम कॉलोनी गेट के पास चेंकिंग करते समय भूपेन्द्र एवं प्रभूदयाल मोटरसाइकिल पर कट्टा और कारतूस लिए हुए जाते हुए मिले जिन्हें मौके पर पकड़ा गया तथा मोटरसाइकिल एवं कट्टे व कारतूस जप्त किए गए। जिसकी सूचना थाना मालनपुर को दी गई। अभियुक्त भूपेन्द्र के आधिपत्य से वहीं मोटरसाइकिल प्राप्त हुई जो फरियादी भूपेन्द्र सासोडे से लूटी गई थी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में आवेदक भूपेन्द्र नौ वर्ष से फरार रहा है। म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक भूपेन्द्र का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की सत्यप्रतिलिपि विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 27/16 में संलग्न की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड</p>	